न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नंबर 2024/378

1. नरेश कुमार यादव पुत्र स्व0 श्री छाजूराम यादव निवासी ग्राम–कूनेड वार्ड नं. 10, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. गोपाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम–कूनेड तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–मुख्य रेस्पोडेण्ट

2. बिरजू पुत्र हरिराम
3. महेश पुत्र हरिराम
4. राधेश्याम पुत्र हरिराम
5. विमला देवी पत्नी हरिराम
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम–कूनेड तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड।
7. संतोष पुत्री छाजुराम पत्नी हरिराम यादव
8. केला देवी पुत्री छाजुराम पत्नी बनवारी यादव
9. सुमन पुत्री छाजुराम पत्नी दयाराम यादव
10. कान्ता पुत्री छाजुराम पत्नी सुभाष यादव समस्त जाति यादव निवासी ढाणी गोरधनपुरा की कंवरपुरा जिला कोटपूतली–बहरोड।
11. रजनी पुत्री छाजूराम पत्नी अमित यादव निवासी मोहल्ला पीच बिहाली पावणा जिला कोटपूतली–बहरोड।
12. ग्यारसी पुत्री मूला
13. बसन्ती पुत्री मूला
14. सुरजी पुत्री मूला
15. रामसिंह यादव पुत्र मन्नी पुत्री मूला
16. रामरतन पुत्र मूला (फौत)
17. गोपाल पुत्र दुर्गा
18. वृजमोहन पुत्र हरिराम
19. विमला पत्नी हरिराम
20. हनुमान पुत्र भूरा
21. कैलाश पुत्र जम्मन समस्त जातियान् अहीर निवासी ग्राम–कुनेड तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
22. हजारी पुत्र भूरा
23. बनवारी पुत्र बंशी समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी भौमिया जी की, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
24. सरती देव पुत्री स्व0 छोटेलाल
25. जगदीश पुत्र गिदोडी देवी पुत्र छोटेलाल
26. कैलाश पुत्र गिदोडी देवी पुत्र छोटेलाल
27. कमल पुत्र गिदोडी देवी पुत्र छोटेलाल

संभागीय आयुक्त
जयपुर

28. सलोचना पुत्री स्व0 श्री हनुमान पुत्र स्व0 छोटेलाल
29. सुमन पुत्री स्व0 श्री हनुमान पुत्र स्व0 छोटेलाल
30. ओमा पुत्री स्व0 श्री हनुमान पुत्र स्व0 छोटेलाल
31. सत्येन्द्र पुत्र स्व0 श्री हनुमान पुत्र स्व0 छोटेलाल
32. शान्ति पत्नी स्व0 श्री हनुमान पुत्र स्व0 छोटेलाल
33. कृष्णा पुत्री स्व0 रघुवीर पुत्र छोटेलाल
34. बबीता पुत्री स्व0 रघुवीर पुत्र छोटेलाल
35. राजवाला पुत्री स्व0 रघुवीर पुत्र छोटेलाल
36. रामा देवी पत्नी स्व0 रघुवीर पुत्र छोटेलाल

समस्त जाति अहीर निवासी लाडा का बास, तहसील पावटा पोस्ट खेलना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.07.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड राज0प्रार्थना पत्र संख्यां 15/2023 उनवानी गोपाल बनाम तहसीलदार पावटा व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री कमलेश शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री हेमन्त सोगानी वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट नं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–16.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 03.07.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी किये जाने प्रस्तुत कर वाके ग्राम कुनेड तहसील पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 239/0.70 की सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 239/0.70 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 01.09.2022 को दिये गये। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा को रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर खसरा नम्बर

239/0.70 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 03.07.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट नरेश कुमार यादव पुत्र स्व0 श्री छाजूराम यादवद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 03.07.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के द्वारा दिनांक 03.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा को रिमाण्ड किये पर रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर अपीलांट के समस्त तथ्यों से इन्कारी करते हुये खसरा नम्बर 239/0.70 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 03.07.2024 को दिये गये। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में उल्लेख किया कि आराजी खसरा नं. 239/0.70 की हदूद राजस्व नक्शे में गलत अंकित है जिसे दुरूस्त कराने हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद नरेश बनाम तहसीलदार दायर किया हुआ है। जब तक उक्त भूमि का राजस्व नक्शा दुरूस्त नहीं हो जाता तब तक उक्त भूमि की पत्थरगढी/सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार है जो भूमि का विभाजन करने के उपरान्त ही भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी हैं। उक्त तथ्यों का दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि बिल्कुल गलत अवैध है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 239/0.70 है0 के पूर्वी सीमा पर स्थित आराजी खसरा नं. 237 रकबा 0.18 है0 व खसरा नं. 238 रकबा 0.45 है0 का सहखातेदार काश्तकार हैं तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आराजी 237, 238, 239 के बाबत् एक वाद बाबत् नक्शा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है। जो कि विचाराधीन है। जिसके विचाराधीन रहते पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेण्ट्स पत्थरगढी की आड में अपीलांट के कदीमी समय से बने पशुबाडा व मकान पर क़ब्जा करने के आश्य से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि प्रथम स्तर पर ही पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो0 पत्थरगढी की आड में अपीलांट की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं एवं अपीलांट को बेदखल करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यात्मक व वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किये बिना तथा बिना मौके की रिपोर्ट तलब किये ही पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड निर्णय दिनांक 03.07.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम कुनेड तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 239/0.70 का रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 लगायत 5 रिकार्डेड, खातेदार काश्तकार है एवं अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं। अपीलांट व पडौसी खातेदार आये–दिन उक्त आराजी की डोल वगै0 को तोड देते हैं। आपसी विवाद ना हो इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का विधिवत् सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 के मुताबिक ही प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्रको स्वीकार कर खसरा नम्बर 239/0.70 के सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.09.2022 की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा को रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये। रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः खसरा नम्बर 239/0.70 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 03.07.2024 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। फिर भी अपीलांट द्वारा प्रार्थी को हैरान-परेशान करने की नियत से पुनः अपील प्रस्तुत की है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। फिर भी किसी पडौसी काश्तकार खातेदार को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी भूमि मौके के अनुसार कम या ज्यादा हैतो वह राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा–128 के तहत् अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2024 यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम कुनेड तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित आराजी भूमि 239/0.70 का रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 लगायत 5 रिकार्डेड, खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित अराजी के सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 मुताबिक खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः खसरा नम्बर 239/0.70 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 03.07.2024 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा खसरा नम्बर 239/0.70 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 03.07.2024 को दिये गये हैं। वकील अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट अपीलाधीन आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 239/0.70 है0 के पूर्वी सीमा पर स्थित आराजी खसरा नं. 237 रकबा 0.18 है0 व खसरा नं. 238 रकबा 0.45 है0 का सहखातेदार काश्तकार हैं तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आराजी 237, 238, 242 के बाबत् एक वाद नरेश बनाम तहसीलदार बाबत् नक्शा दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है। जो कि विचाराधीन है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। जिसका वह विधिक अधिकारी भी है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रक्रिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान् के मध्य खसरा नम्बर 237, 238, 242 के नक्शा दुरूस्ती एवं सीमाओं के संबंध में प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिससे खसरा नम्बर 237, 238, 242 की नक्शा दुरूस्ती होने पर यदि खसरा नम्बर 239/0.70 का नक्शा प्रभावित होता है तो पत्थरगढी की कार्यवाही भी प्रभावित होना संभावित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 03.07.2024 यथावत रखा जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 237, 238, 242 की नक्शा दुरूस्ती होने पर यदि खसरा नम्बर 239/0.70 का नक्शा प्रभावित होता है तो तथानुसार पुनः संशोधित पत्थरगढी आदेश जारी किया जावे।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।